न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **01/2018** अपील (रसद)

श्रीमती सुलोचना देवी बेवा श्री हर्ष प्रकाश जी सुहालका, निवासी 83, सज्जननगर, उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक उदयपुर शहर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील बनाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर
मुकदमा नम्बर 61/2017 रसद निर्णय दिनांक 15.02.18

उपस्थित– 1. श्री कुन्दनसिंह सोनी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विजयसिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–01.06.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकारी पत्र संख्या 143/91 का बना हुआ होकर वार्ड संख्या 7 सज्जननगर उदयपुर के उपभोक्ताओ में नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण लम्बे समय से किया जाता रहा हैं परन्तु जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 61/17 आदेश दिनांक 15.02.18 से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत गेहूँ का दुरूपयोग करने की शिकायत समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर खारीज कर दिया गया एवं प्रतिभूमि राशि प्राप्त कर ली गई जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा विधिक प्रावधानो की पालना नहीं कर प्राधिकार पत्र

को निरस्त कर दिया गया हैं। जिसे पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी की ओर से विद्ववान पेरोकार सरकार उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध गेहूॅ का दुरूपयोग करने की शिकायत समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर खाद्यान्न नागरीक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 10.10.17 से प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए दुकान की विस्तृत जॉच करने हेतु जॉच दल का गठन किया गया। जॉच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 26 विमंदित उपभोक्ताओ के खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत देय गहूॅ की मात्रा का पीओएस मशीन में जुलाई से सितम्बर तक के मध्य 26.40 क्विंटल गेहूॅ का ट्रांजेक्शन कर केवल 15 क्विंटल गेहूॅ का वितरण किया गया। इन तीन माह की अवधि में कुल मिलाकर 11.40 क्विंटल गेहूॅ का गबन किया गया एवं अन्य जॉच में 3.70 क्विंटल की कालाबाजारी करना पाया गया। दुकान के बाहर मुल्य एवं स्टॉक सूची में वांछित सूचनाओ का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उक्त आरोपो का नोटिस दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब में बताया कि विमंदित 26 राशनकार्डधारियो का प्रतिमाह का गेहूॅ 740 किलोग्राम का वितरण करते हुए 26 राशनकार्डधारक उपभोक्ताओ के बायोमैट्रिक इम्प्रेशन अंगुठे लगे हूए हैं। यह तभी संभव है जब उपभोक्ता राशन प्राप्त करता है एवं बायोमैट्रिक इम्प्रेशन देता हैं एवं गेहूॅ वितरण 15 क्विंटल का ही किया गया हैं। 26.40 क्विंटल का वितरण नहीं किया गया हैं। 11.40 क्विंटल गेहूॅ का अनुचित लाभ लेने

की वजह से कम दिये जाने का कथन स्वीकार नहीं हैं। साथही यह भी कथन किया कि जॉच दल द्वारा क्षेत्र के विभिन्न उपभोक्ताओ से जो बयान लिये गये है व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लिये गये है जो स्वीकार नहीं हैं। जिन उपभोक्ताओ को गेहूॅ वितरण किया गया है उनका इन्द्राज पीओएस मशीन में दर्ज हैं। इसमें अपीलान्ट की कोई गलती नहीं हैं। दिनांक 10.10.17 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में किसी प्रकार की कोई खबर प्रकाशित हुई हो तो वह गलत प्रकाशित करवायी गई है जिसका एकमात्र कारण उक्त वर्णित दुकान अपीलान्ट से लेकर अन्य किसी को दी जा सके। विपक्षी एक विधवा महिला हैं। जिसका एकमात्र सहारा उक्त वर्णित दुकान से जो भी राज्य सरकार द्वारा देय राशि निश्चित की गई है जो अपीलान्ट को प्राप्त होती है उसी से उसका परिवार का भरण पोषण होता हैं। अपीलान्ट द्वारा किसी भी वैध उपभोक्ता जिसका नाम खाद्य सुरक्षा सुची में है उसे कभी गेहूॅ देने से मना नहीं किया नाही कभी गेहूॅ वितरण में कालाबाजारी की। ना कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यो के विपरीत निर्णय करने में भारी भूल की हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया। अगस्त सितम्बर 2017 में केरोसीन का कोई आवंटन नहीं हुआ। केवल मात्र पूर्व का पोते 1.5 लीटर शुन्य होते हुए भी उसे न मानकर भारी कानुनी भूल की हैं। स्वयं आशाधाम संस्थापक सिस्टर द्वारा दिनांक 19.01.18 को एक पत्र जिला रसद अधिकारी उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन किया कि माह जुलाई से सितम्बर 2017 के मध्य 26.40 क्विंटल गेहूॅ लिया गया। जिन 7 उपभोक्ताओ के राशन कार्ड में 3.70 क्विंटल गेहू वितरण करना बताया जिसका इन्द्राज पीओएस मशीन में दर्ज हैं। केवल राशनकार्ड में दर्ज उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराना सहवन से रह जाने पर यह गलती उपभोक्ताओ की है ना कि अपीलान्ट की। फिर भी अधिनस्थ विद्धवान अधिकारी ने निर्णय

करने में भारी कानुनी भूल की हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, प्रथम उदयपुर का आदेश दिनांक 15.02.18 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 10.10.17 को अपीलान्ट की दुकान का भौतिक सत्यापन कर दुकान के बाहर मुल्य व स्टॉक सूची में वांछित सूचनाओ का प्रदर्शन होना नहीं पाया गया। अपीलान्ट की पीओएस मशीन 27215 की जॉच करने पर पाया गया कि डीलर की दुकान मे 26 विमंदित उपभोक्तओ के राशनकार्ड हैं। सभी उपभोक्ता आशाधाम आश्रम नामक एक संस्था में रहते हैं। जॉच में पाया गया कि उक्त 26 राशनकार्ड पर खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत देय गेहूॅ की मात्रा 740 किलोग्राम प्रतिमाह हैं। डिलर के पुत्र दिपक सुहालका द्वारा उक्त संस्था में जाकर पीओएस मशीन पर संबंधित उपभोक्ताओ (विमंदित) के बायोमैट्रिक इम्प्रेशन लगवाने के उपरान्त संस्था के वाहन चालक श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा सहाय गौड़ निवासी ओड़ बस्ती मल्लातलाई के द्वारा लोडिंग टेम्पो से आशाधाम आश्रम से प्रतिमाह 5 क्विंटल गेहूॅ 25 से 30 तारीख के मध्य पहूॅचाना जॉच में पाया। साथही जुलाई 2017 के दौरान उक्त 26 राशनकार्डो पर पीओएस मशीन में दो माह का वितरण करते हुए केवल एक माह ही वितरण किया गया। इस प्रकार उपभोक्ताओ को केवल तीन माह में 15 क्विंटल गेहूॅ प्रतिमाह 5 क्विंटल के हिसाब से वितरीत किया गया। तीन माह की अवधि में कुल मिलाकर 11.40 क्विंटल गेहूॅ अनुचित लाभ देने की दृष्टि से कम दिया गया एवं क्षेत्र के विभिन्न राशनकार्डधारियो से जॉच करने पर 3.70 क्विंटल गेहूॅ का कम वितरण कर कालाबाजारी करने की अनियमितता की गई। इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा पीओएस मशीन पर गेहूॅ का वितरण दर्शाते हुए भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारो को वास्तविक वितरण से वंचित

रखना खाद्य सुरक्षा सुची में नाम होने से मना करना एवं गेहूॅ वितरण में कालाबाजारी कर अधिक मुल्य लेकर अनुचित लाभ लेने की गम्भीर अनियमितता की गई है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,3,8,11 एवं 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो इसी आदेश के खण्ड 6 एवं 20 का भी स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः राशन डीलर द्वारा गम्भीर अनियमितता किये जाने के कारण उसका प्राधिकार पत्र जो निरस्त किया गया हैं जो उचित हैं। अतः अपील की कार्यवाही को निरस्त करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा गया। पत्रावली के अवलोकन व बहस पर मनन के पश्चात न्यायालय का मत है कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 10.10.17 के अनुसार पीडीएस सिस्टम में सेंध लगाने वालो को बेनकाब करती पूरी कहानी 2 रूपये के गेहूॅ को 15 रूपये में बेचा जिसमें अपीलार्थीया के पुत्र व पुत्रवधू द्वारा संपादक को 1500 रूपये क्विंटल में गेहूॅ को बेचा हैं। जो स्वयं प्रकाशित समाचार से प्रकट हो रहा हैं। आशाधाम के चयनित विमंदित 26 उपभोक्ताओ के राशनकार्डो का पॉस मशीन में दो माह का वितरण करते हुए केवल 1 माह का ही गेहूॅ वितरण किया गया हैं। बचा 15.10 क्विंटल गेहूॅ को अवैध रूप से कालाबाजारी में विक्रय करना पाया गया एवं संबंधित कार्डधारक उपभोक्ताओ को उनके हक से वंचित रखा गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में ऐसा कोई ठोस कारण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उस पर लगे आक्षेप झूठे होकर वह निर्दोष साबित होती हों। मात्र उसके द्वारा आशाधाम संस्थापक सिस्टर का लिखा गया पत्र दिनांक 19.01.18 का प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके आधार पर उसके द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताऍ को नजरअंदाज नहीं

किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 61/17 निर्णय दिनांक 10.10.17 में पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अनियमितता एवं त्रुटी नहीं पायी जाने से दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना निर्णय के दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर